निर्णय बइजलास शक्ति सिंह भाटी (R.A.S.)सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला–राजसमन्द

प्र0सं0 311/2016 प्रा. पत्र

निर्णय दिनांक :–11.12.2019

अनवान

1. श्री महेन्द्रसिंह पिता प्रतापसिंह राजपूत निवासी मालजी का गुडा तहसील देवगढ़
2. श्रीमती सावकंवर बेवा प्रतापसिंह जी राजपूत निवासी मालजी का गुडा तहसील देवगढ

–प्रार्थी

बनाम

1. श्री भैरू लाल पिता कालुराम जी गुर्जर निवासी मालजी का गुडा तहसील देवगढ जिला राजसमन्द

——विपक्षी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राज0 टि0एक्ट

उपस्थित :– श्री इन्द्रमल कंसारा वकील प्रार्थी।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत हुआ कि प्रार्थीगण ग्राम मालजी का गुडा पटवार हल्का माद तहसील देवगढ के निवासी है। प्रार्थीगण की भूमि ग्राम मालजी का गुडा पटवार हल्का माद तहसील देवगढ में स्थित है। जिसकें आ0नं0 34, 36, 37, 117, 118, 127, 128, 129 कुल किता 8 रकबा 10.01 बीघा है। उक्त आराजियात ख0नं0 36 रकबा 1.09 व ख0नं0 37 रकबा 2.13 बीघा में प्रार्थीगण की भूमि पर जाने के मुख्य रास्ता कादिम से बना हुआ चला आ रहा है। जो रास्ता आ0नं0 38 में से आ0नं0 39 के समीप से होता हुआ प्रार्थीगण की आराजियात में जाने के रास्ते में मिला हुआ है। विपक्षी खातेदार भैरू लाल पिता कालूराम जी गुर्जर ने जबरन दादागिरी के बलबुते पर उक्त बने हुऐ रास्ते का बंद कर दिया है। हम प्रार्थीगण की आराजियात पर जाने का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। हमारी खातेदारी कृषि कार्य सम्पन्न नही होने से भूमि पडी–पडी खराब हो रही है हम अपने कुलक अधिकार से महरूम रह रहे है। हमारा रास्ता पूर्व में उक्त भूमि से ही जाता था जो वर्तमान में बंद कर दिया गया है। अब हम खेतो क बुवाई के लिये ट्रेक्टर एवं मवेशियो को खेत पर नही ले जा पा रहे है। हम प्रार्थीगण ने विपक्षी को रास्ते खोलने हेतु कई बार कहा लेकिन विपक्षी ने रास्ता नही खोला। आ0नं0 38 रकबा 1.11 बीघा किस्म बीड 2 है जो पडत भूमि है उसी भूमि में से प्रार्थीगण अपनी भूमि में जा

उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़

सकते है जो मुख्य रास्ते में प्रार्थी की भूमि में जाने के रास्ते से सबसे नजदीक है। जिसे नियमानुसार खोला जाना आवश्यक है। उक्त बंद रास्ता जो विपक्षी खातेदारी में आता है उसका नियमानुसार वर्तमान दर से भूमि की किमत अदा करने को तैयार हूं। प्राथीगण अपनी भूमि में जाने के लिये आ0नं0 38 में से 15 फिट चौडा रास्ता चाहता है। जिसे राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है। खातेदार श्री लालसिंह पिता प्रतापसिंह राजपूत व्यावसायिक कार्यो से मजदूरी गया हुआ है जिसको आने में समय लगेगा एवं विपक्षी ने प्रार्थीगण का रास्ता वर्तमान में बंद कर दिया है। मामला आवश्यक प्रकृति का होने से एवं लाल सिंह की सहमति से यह प्रार्थना पत्र लाल सिंह के भाई महेन्द्रसिंह एवं सावकंवर माता द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। जिसमें लालसिंह की पुर्णतः सहमति है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आ0नं0 36 रकबा 1.09 बीघा एवं आ0नं0 37 रकबा 2.13 बीघा विपक्षी की आ0नं0 38 में से आ0नं0 39 से सटमा मुख्य रास्ते में अपने खेत में जाने के लिये 15 फिट चौडा रास्ता लम्बाई में आ0नं0 38 से लगाकर आ0नं0 37 के प्रारम्भिक काने ततक रास्ता अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत दिलाये जाने के आदेश प्रदान, करावें एवं उक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कर दर्ज कराये जाने के आदेश प्रदान करावें।

प्राथीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को मय नकल प्रार्थना पत्र के सूचना पत्र जारी किये गये प्रत्युत्तर में प्रार्थीगण ने काई जवाब पेश नही किया बल्कि बावजूद सूचना पत्र तामिल हो जाने पर भी अनुपस्थित रहे। विपक्षी के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी है। वकील प्रार्थी की बहस सुनी। विद्धवान वकील प्रार्थी ने बहस में तर्क दिया कि ग्राम माल जी का गुडा पटवार हल्का माद तहसील देवगढ में प्रार्थीगण की कृषि भूमि स्थित है जिसके ख0नं0 34, 36, 37, 117, 118, 127, 128, 129 कुल किता 8 रकबा 10.01 बीघा है। इस भूमि में आने जाने का रास्ता ख0नं0 36, ख0नं0 37 में से बना हुआ है। जो कादिम से चला आ रहा है। रास्ता आ0नं0 38 में से आ0नं0 39 के समीप होता हुआ है प्रार्थीगण की आराजी में जाने के रास्ते से मिला हुआ है। इस रास्ते के अलावा प्रार्थीगण भूमि में आने जाने का अन्य कोई रास्ता नही है। विपक्षी भैरूलाल पिता कालूराम गुर्जर ने इस रास्ते को जबरन बंद कर दिया है। रास्ता बंद हो जाने से प्रार्थीगण उनकी भूमि में आ जा नही पा रहे है तथा खेतो की बुवाई के लिये ट्रेक्टर मवेशी आदि नही ले जा पा रहे है। प्रार्थीगण अपने कृषि अधिकारो से वंचित हो रहे है। अतः प्रार्थीगण का उक्त रास्ता खुलवाया जाना आवश्यक है रास्ता मौके पर खुलवाया जाकर राजस्व रेकार्ड में अंकन कराने के आदेश प्रदान कराये जावें। रास्ते की में जाने वाली भूमि की किमत वर्तमान बाजार दर अनुसार प्रार्थीगण विपक्षी को अदा करने को तैया है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावें तथा प्रार्थीगण से रास्ते में जाने वाली भूमि की किमत रू0 79110/– की दुगुनी राशि रू0 15820/– विपक्षी से प्रार्थीगण को दिलवायी जाकर मौके पर रास्ता खुलवाये जावें तथा रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने के आदेश प्रदान करावें।

उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़
जिला राजसमन्द (राज.)

हमनें प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र नकल जमाबन्दी रिपोर्ट तहसीलदार देवगढ़ व पत्रावली में सलंग्न अन्य दस्तावेजो का अवलोकन किया तथा विद्धवान वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम मालजी का गुडा पटवार हल्का माद तहसील देवगढ में प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि स्थित है। जिसके ख0नं0 34, 36, 37, 117, 118, 127, 128, 129 कुल किता 8 रकबा 10.01 बीघा है। इस भूमि में आने जाने का रास्ता विपक्षी ने बंद कर दिया रास्ता खुलवा कर राजस्व रेकार्ड में रास्ते का अंकन कराना चाहते है। प्रार्थीगण रास्ते में जाने वाली भूमि 0.02 विस्वा की वर्तमान दर से किमत रू 7910/–की दुगुनी राशि 15820 जमा कराने को तैयार है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम मालजी का गुडा पटवार हल्का माद तहसील देवगढ में स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि आ0नं0 34, 36, 37, 117, 118, 127, 128, 129 कुल किता 8 रकबा 10.01 बीघा भूमि में जाने वाले रास्तो को खुलवाने के आदेश दिये जाते है। पालना हेतु तहसीलदार देवगढ को लिखा जावें। साथ ही तहसीलदार देवगढ को लिखा जावे कि प्रार्थीगण से रास्ते की किमत राशि 7910/– रू0 की दुगुनी राशि रू0 15820/– प्राप्त कर विपक्षी खातेदार को इसका भुगतान कर खातेदार की खातेदारी भूमि आ0नं0 38 में आ0नं0 39 से सटमा रास्ता जो 13 फिट चौडा है का राजस्व रेकार्ड में अंकन करा रिपोर्ट न्यायालय में पेश करे। पत्रावली वास्ते प्राप्त करने पालना रिपोर्ट दिनांक 30.01.2020 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़
सहायक कलक्टर
जिला राजसमन्द (राज.)
देवगढ़